



BHULEKH
Uttar Pradesh



Hindi



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : नूरनगर परगना : (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 (01 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2019) भाग : 1 खाता संख्या : 01065

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
--	-------------	-----------------	------	---------

श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

मै.बाबा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. / A-20 HIG फ्लैट, HIG डुप्लैक्स / संजयनगर गा.बाद द्वारा
डायरेक्टर अनुज जैन / धनपाल सिंह जैन / उक्त कम्पनी

1069मि

2.4940

1419-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी गाजियाबाद वाद स. 22/ 11-12 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 अधि0 तह. व जिला गा.बाद नूरनगर परगना लोनी मैसर्स बाबा कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार ----- आदेश ----- ग्राम नूरनगर परगना लोनी के खाता खतौनी वर्ष 1415-1420 फसली

के खाता न. 352 के खसरा न. 1069मि. रकबा 2.4940 है. स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी वाद के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गा.बाद की आख्या , शासनादेशो के क्रम मे स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं

निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्राविधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगे अकृषिक घोषित किया जाता है । यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 मे वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या वर्णित

अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या वर्णित भूमि अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति की भूमि है ओर बिना अनुमति क्रय /विक्रय करने की नियत से धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0अ0 का प्रख्यापन कराया जा रहा है तो इस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह

कोई भी निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण / सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं करेगा तथा भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करेगा । एसडी0 उपजिलाधिकारी

			<p>गाजियाबाद 4.1.12 । ह.अ.र.का. 10.1.2012 ।</p> <p>1422-फ. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिचाई गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वादस. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13-84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणों की भूमि पर दि.</p> <p>10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 में उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण</p> <p>गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जाये।विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर , 69.श्री एनजी डवलपर्स प्रा.लि. रजि. आफिस 78 सुखदेव विहार दिल्ली 25 व कारपोरेट आफिस एच 95 सै- 63 नोएडा द्वारा डायरेक्टर एच.के. गर्ग पुत्र रोशनलाल, 70. मै. बाबा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. ए-20 एच.आई. जी.</p> <p>डूप्लेक्स सजय नगर गा.बाद द्वारा डायरेक्टर अनुज जैन पुत्र धनपाल जैन नि. उत्त, 71. जे.के.जी. रियलटेक प्रा.लि. द्वारा आफिस बी -174 योजना विहार दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मनीष कुमार गोयल पुत्र जे.के. गोयल खाता न. 352 खसरा न. 1069 अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.8775 है. मा.गु. जो कम की जायेगी</p> <p>34.35 , फसल व सन जबसे आदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यविवरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का.26.2.15 ।</p>	
योग	1	2.4940		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

